



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1956]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 5, 2016/श्रावण 14, 1938

No. 1956]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 5, 2016/SRAVANA 14, 1938

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 2016

का.आ. 2627(अ).—निम्नलिखित अधिसूचना का प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिए, प्रकाशित की जाती है; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देने में हितबद्ध है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, आक्षेप या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 या ई-मेल पते: esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा।

प्रारूप अधिसूचना

नुगु वन्यजीव अभयारण्य, कर्नाटक राज्य के मैसूर जिले के हेगोडादेवांकोटे ताल्लुक में स्थित है और 11°52'47" से 11°56'51" उत्तर अक्षांश और 76°26'10" से 76°28'37" पूर्व देशांतर के बीच स्थित है जो 30.32 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है;

और, नुगु वन्यजीव अभयारण्य नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित भाग है और अभयारण्य हाथी जनसंख्या जिसमें वयस्क गज दंतको का विशेष संभरण है;

और, अभयारण्य में बाघ, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, लकड़बग्घा, रीछ, गौर, सांभर, चीतल और चौसिंगा मृग का वास है और अभयारण्य में 2 महत्वपूर्ण नदी तटीय वन्यजीव प्रजातियों अर्थात्, स्मूथ कोटेड ऊदविलाव और मार्श मगरमच्छ का भी वास है;

और, नुगु वन्यजीव अभयारण्य, के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गों के प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1), उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उप धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्नाटक राज्य में नुगु वन्यजीव अभयारण्य, की सीमा से 100 मीटर से 6.65 किलोमीटर तक के विस्तारित क्षेत्र को नुगु वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिक संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं.—(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार नुगु वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 100 मीटर से 6.65 किलोमीटर तक है और ऐसे जोन की सीमाओं का **उपाबंध I** के रूप में उपाबद्ध है।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत कर्नाटक में मैसूर जिले के हेगेडादेंवाकोटे ताल्लुक में 11 ग्राम और नन्जनागुड ताल्लुक के 12 ग्राम आते हैं तथा यह 28.38 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है।

(3) अक्षांशों और देशांतरों के साथ पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का मानचित्र **उपाबंध II** के रूप में उपाबद्ध है।

(4) पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध III** के रूप में उपाबद्ध है।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना.—(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से, और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना राज्य सरकार द्वारा ऐसी रीति जैसा इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है और सुसंगत केन्द्रीय और राज्य विधियों तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों, यदि कोई हो, के अनुरूप भी तैयार की जाएगी।

(4) आंचलिक महायोजना सभी संबद्ध राज्य विभागों के साथ परामर्श से पर्यावरणीय और पारिस्थितिक विचारणों को उसमें एकीकृत करने के लिए तैयार की जाएगी, अर्थात्:-

- (i) पर्यावरण ;
- (ii) वन ;
- (iii) शहरी विकास ;
- (iv) पर्यटन ;
- (v) नगरपालिक ;
- (vi) राजस्व ;
- (vii) कृषि ;
- (viii) कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड;
- (ix) सिंचाई; और
- (x) लोक निर्माण विभाग,

(5) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्वर्धन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो और आंचलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में अधिक दक्षता और पारिस्थितिक अनुकूलता का संवर्धन करेगी।

(6) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिक और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे।

(7) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, उपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यंकन करेगी।

(8) आंचलिक महायोजना स्थानीय समुदायों की जीवकोपार्जन को सुनिश्चित करने के लिए, पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को पारिस्थितिक अनुकूल विकास के लिए विनियमित करेगी।

3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.— राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :-

(1) **भू-उपयोग .—** पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा :

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन के अधीन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) के अधीन मद सं0 10, 15, 21, 29 और 32 के सामने सूचीबद्ध क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होंगे, अर्थात् :-

- (i) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए पर्यटकों के अस्थायी आवासन के लिए पारिस्थितिक अनुकूल आरामगाह जैसे टेंट, लकड़ी के मकान आदि ;
- (ii) विद्यमान सड़कों को चौड़ा और सुदृढ़ करना ;
- (iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग ;
- (iv) वर्षा जल संचय।
- (v) कुटीर उद्योग, जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग, सुविधा भंडार और स्थानीय सुविधाएं सम्मिलित हैं;

परंतु यह और कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 तथा तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंज्ञात कोई त्रुटि मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सूचना देनी होगी।

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा।

परंतु यह और भी कि जिससे हरित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुनः वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोतों.—** आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनरुद्भूतकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे।

(3) **पर्यटन.—** (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे जो कि आंचलिक महायोजना के भाग रूप में होगी।

(ख) पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग, कर्नाटक सरकार द्वारा वन और पर्यावरण विभाग, राज्य सरकार के परामर्श से तैयार होगी

(ग) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिक पर्यटन (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व देते हुए पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा;

(ii) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटक क्रियाकलापों के संबंध में अस्थायी अधिभोग के लिए वास सुविधा के सिवाय नुगु वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर भीतर होटल और रिसोर्टों का नया संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होगा;

परंतु संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा तक नए होटल और रिसोर्ट की स्थापना पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिक पर्यटन सुविधा के लिए पूर्व परिभाषित और विनिर्दिष्ट स्थान में ही अनुज्ञात किया जाएगा।

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया होगा।

(4) **नैसर्गिक विरासत.**— पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातो आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगा।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल.**— पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान करनी होगी और इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से छह माह के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करनी होगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण.**— पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा।

(7) **वायु प्रदूषण.**— पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा।

(8) **बहिस्त्राव का निस्सारण.**— पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्त्राव का निस्सारण, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट.**— ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा -

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(आ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 नगरपालिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा;

(ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्करण के लिए योजनाएं तैयार करेंगे;

(iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा;

(iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भस्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट.**— पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना जि.एस. आर 343 (अ) तारीख 28 मार्च 2016 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(11) **यानीय परिवहन.**— परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध अधिकथित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के द्वारा अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(12) औद्योगिक इकाइयां.—

(क) पारिस्थितिक संवेदी जोन में विधि के अनुसार स्थापित विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योगों के सिवाए नए काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(ख) जल, वायु, मृदा, ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले किसी नए उद्योग की पारिस्थितिक संवेदी जोन में स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों की सूची.— पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप		
(1)	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाइयां।	(क) सभी नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर उत्खनन और उनको तोड़ने की इकाइयां प्रतिषिद्ध हैं, सिवाय निवासियों की सद्भावपूर्ण घरेलू आवश्यकताओं के नहीं होंगी, जिसके अंतर्गत गृहों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए मिट्टी की खुदाई और व्यक्तिक उपभोग के लिए गृहों के निर्माण के लिए देशी टाइलों या ईंटों का संनिर्माण भी है। (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा।
(2)	आरा मीलों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मीलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
(3)	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए और विद्यमान प्रदूषण कारित करने वाले का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
(4)	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(5)	नए वृहत तापीय और जल-विद्युतीय एवं सिंचाई परियोजना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(6)	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(7)	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्साव और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(8)	प्राकृतिक जल संसाधन जिसके अंतर्गत वाणिज्यिक खनिज जल संयंत्रों, वातित पेय,	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।

	बोतल भरने वाले संयंत्रों आदि के लिए भू-जल संचयन भी है, का वाणिज्यिक उपयोग।	
विनियमित क्रियाकलाप		
(9)	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारों आदि द्वारा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
(10)	पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन होटलों और रिसोर्टों की स्थापना।	पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलाप से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग के लिए वास सुविधा के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर तक या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें जो भी निकट है, नये वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात नहीं होंगे। तथापि, जहाँ पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार एक किलोमीटर से ज्यादा है वहाँ, एक किलोमीटर से परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सभी नए पर्यटक क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के अनुसार होगा।
(11)	सन्निर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर तक या पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा तक इनमें जो भी निकट है, के भीतर किसी भी प्रकार का नया वाणिज्यिक सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होगा: परन्तु स्थानीय लोगों को पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने रिहायशी उपयोग के लिए अपनी भूमि पर सन्निर्माण करने की अनुज्ञा दी जाएगी। (ख) ऐसे लघु उद्योगों जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित सन्निर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही न्यूनतम पर रखे जाएंगे। (ग) पारिस्थितिक संवेदी जोन में सन्निर्माण क्रियाकलाप आंचलिक महायोजना की अनुसार होगा। तथापि, जहां पारिस्थितिक संवेदी जोन एक किलोमीटर से आगे तक विस्तारित है वहां पारिस्थितिक संवेदी जोन के एक किलोमीटर से आगे और उसके विस्तार तक वास्तविक स्थानिय आवश्यकताओं के लिए सन्निर्माण की अनुज्ञा दी जाएगी और अन्य वाणिज्यिक सन्निर्माण क्रियाकलाप आंचलिक महायोजना के अनुरूप होंगे।
(12)	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किंहीं वृक्षों की कटाई नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी।
(13)	विद्युत केबलों और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण।	(क) भूमिगत केबल बिछाई को प्रोत्साहित करना। (ख) विद्यमान घरेलू लाइनें यदि भूमि के ऊपर हैं तो <20 डिग्री ढाल के लिए 20 फुट की ऊंचाई पर होना चाहिए और >30 डिग्री से कम ढाल के लिए यह भूमि से 30 फुट की ऊंचाई पर होना चाहिए। (ग) घरेलू प्रयोजन के लिए वैद्युत लाइनों के किसी भावी बिछाई जाने के लिए 11 केवी तक भूमि के नीचे होना है। (घ) 11 केवी से अधिक किसी पारेषण लाइन के लिए, दो टावरों के बीच "सैग" बिंदू भूमि से कम से कम पंद्रह मीटर पर होना चाहिए।
(14)	होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड़ लगाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।

(15)	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना।	उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और न्यूनीकरण उपाय यथा लागू अनुसार होंगे।
(16)	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे।
(17)	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(18)	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(19)	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में उपचारित बहिर्वाह का निस्सारण और ठोस अपशिष्ट का निपटान।	उपचारित बहिर्वाह के पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित करना और अवमल या ठोस अपशिष्टों के निपटान के लिए विद्यमान विनियमों का अनुपालन करना होगा।
(20)	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(21)	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग।	पारिस्थितिक संवेदी जोन से गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या कृषि आधारित देशीय माल से औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन उद्योग और जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं, को अनुज्ञात किया जाएगा।
(22)	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(23)	वायु और यानीय प्रदूषण।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
(24)	पॉलीथीन बैगों का उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
(25)	कृषि प्रणाली में भारी परिवर्तन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(26)	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(27)	पारिस्थितिक-पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
संबंधित क्रियाकलाप		
(28)	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ डेयरियां, पशुपालन, जल कृषि और मत्स्य पालन।	लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे।
(29)	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
(30)	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
(31)	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना।	
(32)	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर और अन्य कुटीर उद्योग आदि भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
(33)	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग।	वायो गैस, सौर लाइट, आदि का संवर्धन किया जाएगा।
(34)	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
(35)	पर्यावरणीय जागरूकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

5. मानीटरी समिति.—(1) केंद्रीय सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी मानीटरी तीन वर्ष की अवधि के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

- | | | |
|-----|---|-----------|
| (क) | क्षेत्रीय आयुक्त, मैसूर | -अध्यक्ष; |
| (ख) | पर्यावरण विभाग, कर्नाटक सरकार का प्रतिनिधि विशेषज्ञ | -सदस्य; |
| (ग) | शहरी विकास विभाग, कर्नाटक सरकार का प्रतिनिधि विशेषज्ञ | -सदस्य; |
| (घ) | प्रकृति संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों (जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है), का कर्नाटक सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाला एक प्रतिनिधि | - सदस्य; |
| (ङ) | क्षेत्रीय अधिकारी, कर्नाटक सरकार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मैसूर | -सदस्य; |
| (च) | कर्नाटक सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाला कर्नाटक राज्य के ख्याति प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से पारिस्थितिक के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ | -सदस्य; |
| (छ) | राज्य जैव विविधता बोर्ड का सदस्य | -सदस्य; |

- | | | |
|-----|---|----------------|
| (ज) | उपायुक्त या उसका प्रतिनिधि मैसूर जिला | -सदस्य; |
| (झ) | वन निदेशक और संरक्षक, तुगु वन्यजीव अभयारण्य, बांदीपुर | सद सदस्य सचिव। |

निर्देश निबंधन

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(6) मानीटरी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट **उपाबंध IV** पर उपाबद्ध रूप विधान के अनुसार उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे।

6. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे।

7. इस अधिसूचना के उपबंध, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन होंगे।

उपाबंध - I


पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का विवरण

उपाबंध- क

नुगु वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का विवरण

- उत्तर:-** रेखा नल्लूर ग्राम के उत्तर पश्चिम भू-भाग से आरंभ होकर और हंचीपुर, नरसीपुरा की उत्तरी सीमाओं, कोथेगल ग्राम की पश्चिमी और उत्तर सीमाओं के साथ पूर्व की ओर जाती है और हलासुर ग्राम के साथ पुनः जाती है और हलासुर ग्राम सीमा के साथ दक्षिण की ओर जाती है और नलुर की उत्तरी सीमा के साथ पूर्व की ओर जाती है और जालाहल्ली के उत्तरी सीमा के साथ बन्नेगेरे सेन्टेनरी की पश्चिमी सीमा के साथ उत्तर की ओर जाती है और पूर्वी सीमा के साथ पुनः जाती है और उत्तरी सीमा से दुबारा और कोन्देगल से जाती है और कोन्देगल की उत्तरी सीमा के साथ इय्यानूर ग्राम के उत्तर पूर्व भाग के सामान्य जंक्शन से मिलती है।
- पूर्व:-** रेखा कन्देगलुर और आयनुरु के सामान्य बिंदु से आरंभ होकर और कुंदागलुर की पूर्वी सीमा के साथ दक्षिण की ओर जाती है और मधुवनाहल्ली की उत्तरी सीमा भाग से मिलती है और इसके बाद मधुवनाहल्ली की पूर्वी सीमा के साथ दक्षिण की ओर जाती है। और इसके बाद उत्तर के छोर और हैलीयुर और मधुवनाहल्ली की सामान्य सीमा के साथ जाते हैं, मधुवनाहल्ली, हैदीयाला और राजागंदेनाहल्ली के त्रि-जंक्शन बिंदु से मिलती है और इसके बाद हैदीयाला ग्राम की उत्तरी सीमा के साथ पश्चिम की ओर जाती है और दक्षिण की ओर मुडकर और उसके बाद हैदीयाला और चन्नागौदानाहल्ली की सामान्य सीमा के साथ पश्चिम की ओर जाती है और हैदीयाला, चन्नागौदानाहल्ली और नुलुर के त्रि-जंक्शन बिंदु पहुँचती है, इसके बाद दक्षिण की ओर मुडकर और हैदीयाला और मुल्लूर के सामान्य तट पर भी जाती है और लोक्कल्लिगे, हैदीयाला, चिलखाली, हादानूर के त्रि-जंक्शन बिंदु से मिलती है और हैदीयाला और चिलखाली की सामान्य सीमा के साथ जाती है और इसके बाद हैदीयाला और हादानूर, वदयानापुरा की सामान्य सीमा के साथ जाती है और हैदीयाला, हादानूर, वदयानापुरा के त्रि-जंक्शन बिंदु के नगनापुरा खंड के 2 आरक्षित वन को छूती है। जब यह नगनापुरा खंड II आरक्षित वन को छूती है।
- दक्षिण:-** रेखा हादानूर, वदयानापुरा, नगनापुरा खंड II आरक्षित वन एवं हैदीयाला के त्रि-जंक्शन बिंदु से आरंभ होकर नगनापुरा खंड II आरक्षित वन की उत्तरी सीमा के साथ दक्षिण की ओर जाती है और नगनापुरा खंड I की उत्तरी सीमा के साथ पुनः जाती है और नुगु होले के नगनापुरा खंड I एवं अलागंची आरक्षित वन के सामान्य बिंदु पहुँचती है।
- पश्चिम:-** रेखा नुगु होले के नगनापुरा राज्य वन एवं अलागंची राज्य वन से आरंभ होकर और अलागंची राज्य वन की पूर्वी सीमा के साथ उत्तर की ओर जाती है और अलागंची की उत्तर सीमा के साथ पश्चिम की ओर मुडकर और देवालापुरा एवं हुल्लेमाला ग्रामों के जंक्शन बिंदु से मिलती है और देवालापुरा ग्राम की पूर्वी सीमा के साथ उत्तर की ओर मुडकर और मल्लाराजापुरा एवं लिंगाहल्ली की पूर्वी सीमा के साथ दुबारा सागेरे की पूर्वी सीमा के साथ पुनः जाती है और नल्लूर ग्राम की उत्तर पश्चिमी भू-भाग से मिलती है।

पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र



तुंग वन्यजीव अभयारण्य की सीमा पे मुख्य अवस्थान (भू-मण्डलीय स्थिति प्रणाली बिंदु)

मानचित्र आई डी	अक्षांश दशमलव डिग्री में	देशांतर दशमलव डिग्री में
1	76.4445	11.9775
2	76.4475	11.9747
3	76.4477	11.9685
4	76.4548	11.9689
5	76.4614	11.9705
6	76.4644	11.9628
7	76.4628	11.954
8	76.4562	11.952
9	76.4602	11.9472
10	76.4666	11.9444
11	76.4758	11.944
12	76.4736	11.9354
13	76.4732	11.9256
14	76.474	11.9158
15	76.4758	11.9087
16	76.4754	11.8987
17	76.4692	11.9017
18	76.4658	11.8923
19	76.4618	11.8965
20	76.4558	11.8975
21	76.4524	11.8905
22	76.4522	11.8837
23	76.4463	11.8803
24	76.4387	11.8831
25	76.4303	11.8877
26	76.4363	11.8955
27	76.4403	11.9039
28	76.4445	11.9113
29	76.4487	11.9194
30	76.4449	11.9288
31	76.4411	11.937
32	76.4385	11.9442
33	76.4327	11.9484
34	76.4387	11.9536
35	76.4347	11.9586

36	76.4351	11.9665
37	76.4387	11.9737
38	76.4393	11.9809
39	76.4441	11.9883

पारिस्थितिक संवेदी जोन सीमा पे मुख्य अवस्थान (भू-मण्डलीय स्थिति प्रणाली बिंदु)

मानचित्र आई डी	अक्षांश दशमलव डिग्री में	देशांतर दशमलव डिग्री में
1	76.448000	11.818900
2	76.441100	11.819000
3	76.435500	11.825600
4	76.428300	11.825300
5	76.410000	11.835300
6	76.407900	11.848000
7	76.414000	11.868900
8	76.410100	11.871300
9	76.413100	11.885300
10	76.426800	11.890400
11	76.429200	11.904300
12	76.430700	11.913700
13	76.433600	11.922100
14	76.438100	11.948400
15	76.421700	11.949100
16	76.399100	11.918900
17	76.386200	11.963100
18	76.411000	11.979800
19	76.449500	12.002300
20	76.490500	11.981900
21	76.500900	11.998900
22	76.520800	11.980100
23	76.512500	11.950100
24	76.474500	11.917900
25	76.490700	11.936800
26	76.495200	11.916600
27	76.484100	11.875600
28	76.438700	11.852300

उपाबंध - III

पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

उपाबंध-ग

नुगु वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन के हेगेडादेवांकोटे और नन्जनागुड तालुकों के अंतर्गत आने वाले 13 ग्रामों की सूची निम्नलिखित है। पारिस्थितिक संवेदी जोन का कुल भौगोलिक क्षेत्र 2838.50 हेक्टेयर है।

नुगु वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों का वर्णन, जो कि बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिक संवेदी जोन में सम्मिलित नहीं है।

मानचित्र आई डी	ग्राम का नाम	तालुक	जिला	क्षेत्र हेक्टेयर में	देशांतर	अक्षांश	टिप्पणी
1	नल्लूर	एच. डी कोटे	मैसूर	142.25	76.3904	11.9655	पूर्ण ग्राम
2	हंचीपुरा	एच. डी कोटे	मैसूर	70.18	76.3983	11.9628	पूर्ण ग्राम
3	नरसीपुरा	एच. डी कोटे	मैसूर	206.89	76.4088	11.9657	पूर्ण ग्राम
4	इय्यानापुरा	एच. डी कोटे	मैसूर	50.72	76.4358	11.9153	पूर्ण ग्राम
5	चन्नागोवदानाहल्ली	एच. डी कोटे	मैसूर	344.12	76.4858	11.9543	पूर्ण ग्राम
6	रयागौदानाहल्ली	नंनजानागुदु	मैसूर	203.17	76.5013	11.9546	पूर्ण ग्राम
7	कंदागला	नंनजानागुदु	मैसूर	482.93	79.5109	11.9676	पूर्ण ग्राम
8	वीरवाल	एच. डी कोटे	मैसूर	14.41	79.4449	11.9647	पूर्ण ग्राम
कुल:				1514.67			

नुगु वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले आंशिक ग्रामों का वर्णन, जो कि बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिक संवेदी जोन में आंशिक ग्रामों और सभी ग्रामों में विस्तारित है।

मानचित्र आई डी	ग्राम का नाम	तालुक	जिला	क्षेत्र हेक्टेयर में	देशांतर	अक्षांश	टिप्पणी
क	मसाहल्ली	एच. डी कोटे	मैसूर	450.04	76.3994	11.9458	आंशिक ग्राम
ख	गेदालापुरा	एच. डी कोटे	मैसूर	67.84	76.4132	76.9395	आंशिक ग्राम
ग	हलवयुर	एच. डी कोटे	मैसूर	200.01	76.4177	76.9533	आंशिक ग्राम
घ	कोथेगला	एच. डी कोटे	मैसूर	305.48	76.4280	76.9819	आंशिक ग्राम
इ	हलासुर	एच. डी कोटे	मैसूर	300.46	76.4545	76.9860	आंशिक ग्राम
कुल:				1323.830			

उपाबंध IV

पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति—की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत्त : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें। बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना भी है।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश ब्यौरों को उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा ।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली क्रियाकलापों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरों को पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा ।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली क्रियाकलापों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरों को पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
8. महत्ता का कोई अन्य विषय ।

[फा. सं. 25/11/2016-ईएसजेड/आरई]

डॉ. टी चांदनी, वैज्ञानिक 'जी'

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th July, 2016

S.O. 2627(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Office Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address of the Ministry at: - esz-mef@nic.in

Draft Notification

WHEREAS, Nugu Wildlife Sanctuary is situated in the Heggadadevanakote Taluk of Mysore district in the State of Karnataka and lies between North latitude 11° 52'47" to 11° 56'51" and East longitude 76° 26'10" to 76° 28'37" and is spread over an area of 30.32 square kilometers;

AND WHEREAS, the Nugu Wildlife Sanctuary is part of the Nilgiri Biosphere Reserve and the Sanctuary supports very high density of elephant population which has significant proportion of adult tuskers;

AND WHEREAS, the Sanctuary also harbours tiger, leopard, wild dog, striped hyena, sloth bear, gaur, sambhar, chital and four-horned antelope and the sanctuary also harbours two important riverine wildlife species, namely, smooth coated otter and marsh crocodile;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area the extent and boundaries of which is specified in paragraph 1 of this notification around the Nugu Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industry and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone ;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent of 100 metres to 6.65 kilometers from the boundary of Nugu Wildlife Sanctuary in the State of Karnataka, as the Nugu Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. Extent and boundary of Eco-sensitive Zone.-(1) The Eco-sensitive Zone has an extent varying from 100 meters to 6.65 kilometers from the boundary of Nugu Wildlife Sanctuary and the description of boundaries of such zone is given in **Annexure I**.

(2) The Eco-sensitive Zone includes 11 villages in Heggadadevanakote Taluk and 2 villages of Nanjanagud Taluk of Mysore District in Karnataka and it is spread over an area of 28.38 square kilometers.

(3) The map of Eco-sensitive Zone boundary together with latitudes longitudes is appended as **Annexure II**;

(2) The list of villages falling within the Eco-sensitive Zone is given at **Annexure-III**.

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.-(1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.

(2) The said Plan shall be approved by the competent authority in the State Government.

(3) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(4) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments, namely:-

- (i) Environment,
- (ii) Forest,
- (iii) Urban Development,
- (iv) Tourism,
- (v) Municipal,
- (vi) Revenue,
- (vii) Agriculture,
- (viii) Karnataka State Pollution Control Board,
- (ix) Irrigation, and
- (x) Public Works Department,

for integrating environmental and ecological considerations into it.

- (5) The Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.
- (6) The Zonal Master plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.
- (7) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.
- (8) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone as to ensure eco-friendly development for livelihood security of local communities.

3. **Measures to be taken by State Government.**-The State Governments shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Land use.**- Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of local residents, and for the activities listed against serial numbers 10, 15, 21, 29 and 32 in column (2) of the table in paragraph 4, namely:-

- (i) eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists, such as tents, wooden houses, etc. for eco-friendly tourism activities;
- (ii) widening and strengthening of existing roads;
- (iii) small scale industries not causing pollution;
- (iv) rainwater harvesting; and
- (v) cottage industries including village industries, convenience stores and local amenities;

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph:

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas.

(2) **Natural springs.**- The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas ~~in such a manner as~~ which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism.**- (a) The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as per Tourism Master Plan, which shall form part of the Zonal Master Plan.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism, in consultation with Department of Forests and Environment, Government of Karnataka.

(c) The activity of tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority, (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone;

(ii) no new commercial hotels and resorts shall be permitted, within one kilometer of the boundary of the protected area or the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, except for accommodation for temporary occupation of tourists related to eco-friendly tourism activities:

Provided that, where Eco-sensitive Zone extends beyond one kilometer, then, beyond one kilometer and up to the extent of the Eco-sensitive Zone, all new tourism activities or expansions of existing activities would be conformity with Tourism Master Plan and National Tiger Conservation Authority guidelines;

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) **Natural heritage.-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc., shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification and incorporated in the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.-** The Environment Department of the State Government shall draw up guidelines and regulations for the control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981(14 of 1981) and the rules made thereunder.

(7) **Air pollution.-** The Environment Department of the State Government shall draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) **Discharge of effluents.-** The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974(6 of 1974) and the rules made thereunder.

(9) **Solid wastes. -** Disposal of solid wastes shall be as under:-

(i) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* notification number S.O. 908 (E), dated the 25th September 2000 as amended from time to time;

(ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

(iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;

(iv) the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone

(10) **Bio-medical waste.-** The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998 published by the Government of India in

the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* notification number S.O. 630(E), dated the 20th July, 1998 as amended from time to time.

(11) **Vehicular traffic.** - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal master plan is prepared and approved by the competent authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(12) **Industrial units.**- (a) No establishment of new wood based industries within the proposed Eco-sensitive Zone shall be permitted except the existing wood based industries set up as per the law.

(b) No establishment of any new industry causing water, air, soil, noise pollution within the proposed Eco-sensitive Zone shall be permitted.

4. **List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.**- All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder and be regulated in the manner specified in the table below, namely:-

TABLE

S.No.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
Prohibited Activities		
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units	(a) New and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying, and crushing units shall be prohibited in the Eco-sensitive Zone except for the domestic needs of <i>bona fide</i> local residents with reference to digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing for personal consumption. (b) The mining operations shall strictly be in accordance with the interim order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4 th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumalpad Vs. Union of India in Writ Petition (Civil) No. 202 of 1995 and order of the Hon'ble Supreme Court dated the 21 st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. Union of India in Writ Petition (Civil) No. 435 of 2012.
2.	Setting up of saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
3.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	No new or expansion of polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted.
4.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Establishment of new major hydroelectric projects and irrigation projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.

7.	Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	Commercial use of natural water resources including ground water harvesting for commercial mineral water plants, aerated drinks bottling plants etc.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
Regulated Activities		
9.	Undertaking activities related to tourism like over-flying the National Park Area by aircraft, hot-air balloons.	Regulated under applicable laws.
10.	Establishment of eco-friendly tourism hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted, within one kilometer of the boundary of the Protected Area or the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, except for accommodation for temporary occupation of tourists related to eco-friendly tourism activities. However, where Eco-sensitive Zone extends beyond one kilometer, then beyond one kilometer and up to the extent of the Eco-sensitive Zone, all new tourism activities or expansions of existing activities would be conformity with Tourism Master Plan and National Tiger Conservation Authority guidelines.
11.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted, within one kilometer of the boundary of the Protected Area or the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their residential use including the activities listed in sub paragraph (1) of paragraph 3. (b) The construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (c) Construction activity in the Eco-sensitive Zone shall be as per Zonal Master Plan. However, where Eco-sensitive Zone extends beyond one kilometer, then beyond one kilometer and up to the extent of Eco-sensitive Zone, construction for bona fide local needs shall be permitted and other commercial construction activities shall be in conformity with the Zonal Master Plan.
12.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.

13.	Erection of electrical cables and telecommunication towers.	(a) Promote underground cabling. (b) Existing domestic lines – If over ground should be at the height of 20 feet for slope < 20 degree and for slope > 30 degree it should be at the height of 30 feet from the ground. (c) For any future laying of electric lines for the domestic purpose up to 11 KV has to be done underground. (d) For any transmission line more than 11 KV, the “sag” point between the two towers should be at least 15 meters from the ground.
14.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	Regulated under applicable laws.
15.	Widening and strengthening of existing roads.	Shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable.
16.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose, under applicable laws.
17.	Introduction of exotic species.	Regulated under applicable laws.
18.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
19.	Discharge of treated effluents in natural water bodies or land area.	Recycling of treated effluent shall be encouraged and for disposal of sludge or solid wastes, the existing regulations shall be followed.
20.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
21.	Small scale industries not causing pollution.	Non polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone, and which do not cause any adverse impact on environment shall be permitted.
22.	Collection of forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
23.	Air and vehicular pollution.	Regulated under applicable laws.
24.	Use of polythene bags.	Regulated under applicable laws.
25.	Drastic change of agriculture systems.	Regulated under applicable laws.
26.	Solid Waste Management.	Regulated under applicable laws.
27.	Eco-Tourism.	Regulated under applicable laws.

Promoted Activities		
28.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming.	Permitted under applicable laws.
29.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
30.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
31.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
32.	Cottage industries including village artisans and other cottage industries.	Shall be actively promoted.
33.	Use of renewable energy sources.	Bio gas, solar light, etc., to be promoted.
34.	Agro Forestry.	Shall be actively promoted.
35.	Environmental Awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee:- (1) The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee for a period of three years, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, which shall comprise of the following namely:-

- (a) Regional Commissioner, Mysore – Chairman
- (b) Representative of the Department of Environment, Government of Karnataka – Member;
- (c) Representative of the Department of Urban Development, Government of Karnataka –Member;
- (d) One representative of Non-governmental Organisation working in the field of nature conservation (including heritage conservation) to be nominated by the Government of Karnataka– Member;
- (e) Regional Officer, Karnataka State Pollution Control Board, Mysore – Member;
- (f) One expert in the field of Ecology from a reputed Institution or University of the State of Karnataka to be nominated by the Government of Karnataka – Member;
- (g) Member of the State Biodiversity Board - Member;
- (h) Deputy Commissioner or his representative, Mysore District, – Member;
- (i) The Director and Conservator of Forests, Nugu Wildlife Sanctuary, Bandipur – Member-Secretary.

Terms of Reference:

- (2) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.
- (3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
- (4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

- (5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector or the concerned Park Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) against any person who contravenes the provisions of this notification.
 - (6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
 - (7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State as per pro forma appended at **Annexure IV**.
 - (8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.
6. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.
7. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

Annexure I


Boundary description of the Eco-sensitive Zone

ANNEXURE-A

Boundary description of the Eco-sensitive Zone of Nugu Wildlife Sanctuary

- North:** The line starts from North West corner of Nallur village and runs East along the northern of Hanchipur, Narasipura Western and North boundary of Kothegal Village and continuous along North boundary of Halasur village and twins South along Halasur Village boundary and funs East along northern boundary Nullur and goes north along the Western boundary of Bannegere Centenary along the Northern boundary of Jalahalli and continuous along its Eastern boundary and continuous on northern boundary and Kundegal and meets the common junction of North East part of Iyyanur of village with Northern boundary of Kundegal.
- East:** The line starts common print of Kandegalur and Aynuru and runs south along the Eastern boundary of Kundagalur and meets and northern met boundary part of Maduvanahalli village and then runs south along the Eastern boundary of Maduvinahalli. And then heads north and along the common boundary and Heliyur and Maduvanahalli exreuers the trijunction point of Maduvanahalli, Hediya and Rajagandenahalli and then turns due west along northern boundary of hediya village and turns south and then West along the common boundary of Hediya and Channagoudanahalli and reaches the trijunction of Hediya, Chennagoundanahalli and Nullur then turn due South and run also common Banks of Mullur and Hediya and the Hediya and meets trijunction of Lokkalige, Hediya Chilkhalli Hadanury and runs along the common boundary of Hadiyala and 'chilkhalli and then along the common boundary Hediya and Hadanuru Vadeyanapura and touches Naganapur block two reserve forest at the trijunction of Hediya Hadanurur Vadeyanapura. When it touches Naganapura Block II Reserve Forest.
- South:** The line started at tri-junction point of Hadanur, Vadeyanapura, Naganapura Block II Reserve Forest & Hediya & runsd due south & an along the Northern boundary of Naganapura Block II Reserve Forest & continuous along the norther boundary Naganapura Block-I & reaches the common point of Naganapura block I & Alaganchi Reserve Forest at Nugu hole.
- West:** The line started at commence of Naganapura State Forest & Alaganchi Star Forest at Nuguhole & runs north along eastern boundary of Alaganchi SF & turns continuous west along the north boundary of Alaganchi & meets the junction point of Devalapura & Hullemla villages & the turns north along the eastern boundary of Devalapura village & continuous along the eastern boundary Mallarajapura & Lingahalli continues along the eastern boundary of sagere & meets north-western corner of Nallur village.

Map of proposed Eco-sensitive Zone:



Key locations (GPS Points) on the Nugu Wildlife Sanctuary boundary.

Map ID	Longitude in decimal degrees	Latitude in decimal degrees
1	76.4445	11.9775
2	76.4475	11.9747
3	76.4477	11.9685
4	76.4548	11.9689
5	76.4614	11.9705
6	76.4644	11.9628
7	76.4628	11.954
8	76.4562	11.952
9	76.4602	11.9472
10	76.4666	11.9444
11	76.4758	11.944
12	76.4736	11.9354
13	76.4732	11.9256
14	76.474	11.9158
15	76.4758	11.9087
16	76.4754	11.8987
17	76.4692	11.9017
18	76.4658	11.8923
19	76.4618	11.8965
20	76.4558	11.8975
21	76.4524	11.8905
22	76.4522	11.8837
23	76.4463	11.8803
24	76.4387	11.8831
25	76.4303	11.8877
26	76.4363	11.8955
27	76.4403	11.9039
28	76.4445	11.9113
29	76.4487	11.9194
30	76.4449	11.9288
31	76.4411	11.937

32	76.4385	11.9442
33	76.4327	11.9484
34	76.4387	11.9536
35	76.4347	11.9586
36	76.4351	11.9665
37	76.4387	11.9737
38	76.4393	11.9809
39	76.4441	11.9883

Key locations (GPS Points) on the Nugu Wildlife Sanctuary boundary.

Map ID	Longitude in decimal degrees	Latitude in decimal degrees
1	76.448000	11.818900
2	76.441100	11.819000
3	76.435500	11.825600
4	76.428300	11.825300
5	76.410000	11.835300
6	76.407900	11.848000
7	76.414000	11.868900
8	76.410100	11.871300
9	76.413100	11.885300
10	76.426800	11.890400
11	76.429200	11.904300
12	76.430700	11.913700
13	76.433600	11.922100
14	76.438100	11.948400
15	76.421700	11.949100
16	76.399100	11.918900
17	76.386200	11.963100
18	76.411000	11.979800
19	76.449500	12.002300
20	76.490500	11.981900
21	76.500900	11.998900

22	76.520800	11.980100
23	76.512500	11.950100
24	76.474500	11.917900
25	76.490700	11.936800
26	76.495200	11.916600
27	76.484100	11.875600
28	76.438700	11.852300

Annexure III**List of villages falling within the proposed Eco-sensitive Zone****ANNEXURE-C**

The Eco-Sensitive Zone Nugu Wildlife Sanctuary consists of the following thirteen villages falling under Heggadadevana Kote and Nanjangud Talukas. The total geographical area of Eco-Sensitive Zone is 2838.50 ha

Details of the villages within the Eco-Sensitive Zone of Nugu Wildlife Sanctuary, which were not included in the Eco-Sensitive Zone of Bandipur National Park

Map Id	Name of the village	Taluk	District	Area in Ha	Longitude	Latitude	Remarks
1	Nallur	H.D Kote	Mysore	142.25	76.3904	11.9655	Full Village
2	Hanchipura	H.D Kote	Mysore	70.18	76.3983	11.9628	Full Village
3	Narasipura	H.D Kote	Mysore	206.89	76.4088	11.9657	Full Village
4	Iyyanapura	H.D Kote	Mysore	50.72	76.4358	11.9153	Full Village
5	Channagowdanahalli	H.D Kote	Mysore	344.12	76.4858	11.9543	Full Village
6	Rayagaudanhalli	Nanjanagudu	Mysore	203.17	76.5013	11.9546	Full Village
7	Kandagala	Nanjanagudu	Mysore	482.93	79.5109	11.9676	Full Village
8	Beerval	H.D Kote	Mysore	14.41	79.4449	11.9647	Full Village
Total:				1514.67			

Details of the Partial the villages within the Eco-Sensitive Zone of Nugu Wildlife Sanctuary, which were partial villages in the Eco-Sensitive Zone of Bandipur National Park and now extended to full villages.

Map ID	Name of the village	Taluk	District	Area in Ha	Longitude	Latitude	Remarks
A	Masahalli	H.D Kote	Mysore	450.04	76.3994	11.9458	Partial Village
B	Geddalapura	H.D Kote	Mysore	67.84	76.4132	76.9395	Partial Village
C	Halwyr	H.D Kote	Mysore	200.01	76.4177	76.9533	Partial Village
D	Kothegala	H.D Kote	Mysore	305.48	76.4280	76.9819	Partial Village
E	Halasur	H.D Kote	Mysore	300.46	76.4545	76.9860	Partial Village
Total:				1323.830			

Annexure IV

Proforma of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: mention main noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record. [Details may be attached as Annexure]
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under Environment Impact Assessment notification, 2006. [Details may be attached as separate Annexure]
6. Summary of case scrutinised for activities not covered under Environment Impact Assessment notification, 2006. [Details may be attached as separate Annexure]
7. Summary of complaints lodged under section 19 of Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

[F.No.25/11/2016-ESZ-RE]

Dr. T. CHANDINI, Scientist 'G'